

अपील प्राधिकारी-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-के अंतर्गत  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
एस.सी.ओ. 5-10, सेक्टर -16ए फरीदाबाद, पिन:121002

अपील पत्र दिनांक:25.02.2023

संदर्भ सं०: ई.डी./सचिवालय/आर. टी. आई./2199 / 1783

दिनांक: 28.03.2023

लोक प्राधिकारी का नाम

: पावरग्रिड उ. क्षेत्र-1 मुख्यालय फरीदाबाद -121002

### आदेश

आर. टी. आई MIS पोर्टल के द्वारा प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रेशन न० PGCIL/R/E/23/00055 दिनांक 01.02.2023 श्री नरेंद्र बंसल, D-16, Dayanand Nagar, Pin:201001 से सी.पी.आई.ओ, उ. क्षेत्र.1 के कार्यालय में दिनांक 01.02.2023 को प्राप्त हुआ | इसके उपांत पत्र संदर्भ संख्या:पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2199 दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से RTIMIS Portal के द्वारा गांगी जानकारी प्रदान की |

अब, श्री नरेंद्र बंसल, डायरेक्टर, एन.टैक डलपर्स, डी-16, दयानंद नगर गाजियाबाद-201001 के द्वारा सी. पी. आई. ओ., उ. क्षेत्र.1 द्वारा भेजे गये उपरोक्त पत्र से संतुष्ट न होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी (अधोहस्ताक्षरी) को अपील पत्र दिनांक 25.02.2023 भेजा है। अपील पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता ने बताया है कि सी.पी.आई.ओ. के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 01.02.2023 के द्वारा मांगी गई सूचना आधी अधूरी दी है और कितना समय सिव्योरिटी भुगतान की बाबत लगेगा नहीं बताया है।

अपीलकर्ता से प्राप्त अपील पत्र को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सी. पी. आई. ओ., उ.क्षे. प्रथम को पुनर्विचार के लिये भेजा गया। इसके उपांत सी पी. आई. ओ, उ.क्षे. प्रथम ने अपील पत्र को पुनः सम्बंधित पावरग्रिड चित्तौडगढ़ कार्यालय को भेजा और अपीलकर्ता को आर. टी. आई प्रार्थना पत्र एवं अपील पत्र द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार सूचना प्रदान करने को अपने end पर बोला गया। इस अनुसार वरिष्ठ महाप्रबंधक, चित्तौडगढ़ ने पत्र संदर्भ सं०:उ.क्षे.1/चित्तौडगढ़/सिविल/540 दिनांक 22.03.2023 के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की गई है।

अतः अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत सभी सम्बंधित दस्तावेजों का अध्ययन करने के पश्चात यह बताना है कि सी. पी. आई. ओ, उ.क्षे. प्रथम ने अपने पत्र संदर्भ संख्या:पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2199 दिनांक 24.02.2023 एवं वरिष्ठ महाप्रबंधक, चित्तौडगढ़ ने पत्र संदर्भ सं०:उ.क्षे.1/चित्तौडगढ़/सिविल/540 दिनांक 22.03.2023 के अनुसार जो भी जानकारी आर. टी. आई अधिनियम, 2005 के नियमानुसार दे सकते हैं वह देने का प्रयास किया है। अतः अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते आपको बताना है कि आपके मामले में जो भी कार्यवाही नियमानुसार जल्द से जल्द कर सकते हैं वह करेंगे और आपका जो भी देय पावरग्रिड पर बकाया होगा Deductions के बाद भुगतान किया जायेगा। अतः आपका अपील पत्र बंद (dispose) किया जाता है।

[ए. के. मिश्रा]

कार्यपालक निदेशक, उ.क्षे. 1 एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी  
ई-मेल:akmishra2@powergrid.in, फोन न. 0129-2666301

प्रतिलिपि :

1. श्री नरेंद्र बंसल, डायरेक्टर, एन.टैक डलपर्स, डी-16, दयानंद नगर गाजियाबाद-201001, मोबाईल न. 9810513040: आपके अपील पत्र दिनांक 25.02.2023 के संदर्भ में।
2. श्री राजेश वी., मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) एवं अधिकृत सी पी आई ओ, उ.क्षे.1: सूचना एवं रिकार्ड हेतु।